न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः— श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः— 01 / 2026

अपीलार्थी	बनाम	प्रतिवादी
1. मैसर्स रामप्रताप उचित मूल्य का दुकान, ग्राम नेवां, तहसील बाप, जिला फलौदी राज. जरिये प्रोपराइटर रामप्रताप पुत्र रघुनाथराम, जाति विश्नोई, निवासी नेवां, तहसील बाप, जिला फलौदी (राज.) प्राधिकार पत्र संख्या एफ33 /07/ रसद/ शॉप/ तह. फलौदी /07 /297		1. जिला रसद अधिकारी जिला फलौदी

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्य एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 बविरूद्व दिनांक 09.06.2023 जो जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 03 / 2022 में उचित मूल्य दुकान मैसर्स रामप्रताप नेवां, तहसील बाप, जिला जोधपुर के प्राधिकार पत्र संख्या 297 / 2007 में पारित किया।

अपीलार्थी की ओर से— अधिवक्ता श्री उगराराम उदाणी।

प्रतिवादी की ओर सेः— जिला रसद अधिकारी उपस्थित।

दिनांकः— 24/12/2026

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा प्रकरण संख्याः जि.र.अ.द्वि / विधि / 03 / 2022 अनवान सरकार बनाम मैसर्स रामप्रताप उचित मूल्य की दुकान ग्राम नेवां तहसील बाप(जोधपुर) में पारित आदेश दिनांकित 09.06.2022 के विरूद्व अपील अंतर्गत क्लोज 22 राजस्थान खाद्य एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 मय धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम पेश की है।
2. अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है कि अपीलार्थी को वर्ष 2007 में उचित मूल्य दुकान मैसर्सै रामप्रताप उचित मूल्य की दुकान नेवां के नाम को आवंटित हुई थी, उसके बाद लगातार अपीलांट द्वारा नियमित रूप से सेवा प्रदान की जा रही थी, चूँकि जहां दुकान संचालित की जा रही थी, वह दुकान अपीलांट के किराये पर चल रही थी, उस दुकान मालिक ने अपनी दुकान को ग्राम नेवां की गैर मुमकीन गौचर भूमि में बना रखी थी। जिसकी शिकायत होने पर उक्त दुकान को प्रशासन द्वारा ढहा दिया गया था। जिस पर अपीलांट ने रसद अधिकारी को सूचित किया कि वर्तमान में संचालित दुकान को प्रशासन द्वारा ढहा दिया गया है, इसलिए स्थान परिवर्तन करना है, तब रसद विभाग के अधिकारीयों द्वारा सुविधानुसार कहीं वैकल्पिक व्यवस्था करने को कहा, तब अपीलांट द्वारा वहां से सुविधानुसार, सुरक्षित स्थान एवं आमजन के लिए सुविधा जनक स्थान पर कोई दुकान किराये पर लेकर कार्य करना संचालित कर दिया। जो सभी गांववासियों के लिए

जिला कलक्टर
फलौदी

सुविधाजनक एवं मध्य केन्द्र बिन्दु पर थी। लेकिन गांव के सरपंच द्वारा राजनैतिक रंजिशवश शिकायत की कि राशन डीलर द्वारा उचित मूल्य की दुकान अपनी मनमर्जी से संचालित कर रहा है। तब रसद विभाग द्वारा अपीलांट से स्पष्टीकरण मांगा तो उसका जबाब पेश कर अपीलांट ने दूसरी जगह पर राशन की दुकान को संचालित करने का ठोस कारण बताया, जबकि सरपंच ने शिकायत कर बताया कि ग्राम पंचायत में भवन उपलब्ध है। जबकि सरपंच द्वारा बताया गया भवन सुरक्षित नहीं था, क्योंकि आसपास मे सुनसान जगह थी एवं उसके वाउण्ड्री वॉल भी किया हुआ नहीं था एवं असुरक्षित कारणों के कारण सरपंच के बताए भवन पर उचित मूल्य की दुकान संचालित करना संभव नहीं था। जिस कारण अपीलार्थी को रसद विभाग द्वारा नोटिस भेजा जाने पर अपीलार्थी द्वारा नोटिस को जबाब पेश कर उक्त शिकायत का उचित कारण बताया गया। रसद विभाग द्वारा मेरी दुकान को उक्त शिकायत के कारण दिनांक 25.05.2022 को निलंबित कर दिया तथा दुकान का संचालन के लिउ आस–पडौस की दुकानों के डिलरों को दुकान संचालन का जिम्मा सौपा तथा मेरे को बताया कि आपके विरूद्व जांच पेड़िग है तथा रसद विभाग द्वारा मुझे समूचित सुनवाई का मौका देगी, लेकिन रसद विभाग द्वारा अपीलार्थी का बिना कोई सूचना दिए, अपीलांट की अनुपस्थिति दिनांक 09.06.2023 को निर्णय पारित कर आवंटित दुकान प्राधिकार पत्र संख्या 297/2007 को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.20236 अपास्त करने हेतु अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण प्रस्तुत की है।

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री उगराराम उदाणी के द्वारा अपील अंतर्गत क्लोज 22 राजस्थान खाद्य एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमय) आदेश 1976 के तहत पेश की गई जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। जो तामिलशुदा पेश हुए ।जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया।

4. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट सन् 2007 से 2022 तक यानि 15 साल तक निर्बाध एवं शांति पूर्वक तरीके से उचित मूल्य की दुकान का संचलान किया। जिसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रही थी। चूंकि उचित मूल्य दुकान केन्द्र नेवां जो पिछड़ा क्षेत्र है तथा वहां के छितराई हुई ढाणीयों में लोग निवास करते है। एवं नेवां पुराना राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल 15 किलोमीटर तक के दायरे में फैला हुआ है। गांव है, जो हाल में पंचायत बनी है। इससे पहले नेवां का कोई मुख्य केन्द्र तय नही था। ना ही कोई सरकारी भवन वगैरा बने हुए थे और यदि कोई भवन थे तो भी उसके आसपास में कोई घर व आबादी एरिया नहीं था। इस कारण सेण्ट्रल पॉइण्ट गोचर भूमि में बने भवन को प्रशासन द्वारा गिरा देने से मजबूरी में दूसरी जगह रसद विभाग के कहने से ही शिफ्ट किया था। जिसमें अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई थी। चूंकि निलम्बन के दौरान भौतिक सत्यापन किया गया तो पॉस मशीन से सटॉक व भौतिक सत्यापन में 24 क्विटंल 16 किलो 600 ग्राम का अंतर बताते हुए अपीलांट द्वारा गेहू का गबन का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया, जबकि वास्तविकता यह है कि पॉश मशीन अपीलांट को सितम्बर 2016 में दी गई, जो अगस्त 2022 तक यानि छः सालों में 24 विक्टंल का अंतर पाया, जो कि आम बात है। तुलवाई के दौरान छीजत में अंतर होना

जिला ...
फलौदी

स्वाभाविक है। फिर भी रसद विभाग द्वारा अपीलांट को बिना समुचित सुनवाई का मौका दिये तथा अपीलांट द्वारा पेश किए जबाब को बिना कन्शीडर किए रसद विभाग ने अपनी मनमर्जी से उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है। जो काबिले निरस्त होने से निरस्त किया जावें।

5. अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि विभाग के आदेश क्रमांक 256 दिनांक 02.03.2022 के द्वारा एक माह में ग्राम पंचायत नेवा में पंचायत मुख्यालय पर उचित दुकान को स्थानान्तरित करने हेतु पांबद किया गया, परन्तु अपीलांट द्वारा उक्त आदेश की पालना नही करने पर अपीलांट के विरूद्व अभियोजन प्रकरण संख्या 03/2022 दर्ज कर आदेश क्रमांक 83 दिनांक 25.05.2022 द्वारा निलम्बित किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट डीलर रामप्रताप नेवा पॉस कोड 26043 थोक विक्रेता की सूचना अनुसार एवं पोर्टल की सूचना अनुसार निलम्बन पश्चात दिनांक 19.08.2022 को सुपुर्द करने तक अर्थात दिनांक 01.09.2016 से 19.08.2022 तक कुल 2416.6 किग्रा गेहू का दुरूपयोग करना पाया गया। इस सम्बध में विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जीर किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलांट द्वारा जबाब भी 30.1.2023 को प्रस्तुत किया गया। अपीलांट मैसर्स रामप्रताप द्वारा संतोषप्रद जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पद्वार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा व इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5, 11 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के खंड 6(4) का उल्लघंन किया गया है। अनियमितता पाए जाने पर ही विधि एवं नियमों के अनुसार ही अपीलांट की उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पपत्र संख्या 297/2007 को निरस्त किया है। बहस के अंत में अपीलार्थी की अपील खारिज की जाने की इस्तदुआ की।

6. उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस एवं दौराने बहस प्रस्तुत दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एंव अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तर्को पर विचार मनन किया गया।

7. उभयपक्षकारान के तर्को, एवं न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं प्रस्तुत दस्तावेजात, बहस के अवलोकन एवं मनन पश्चात अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार को अपना पक्ष से सुनवाई हेतु समुचित अवसर दिया जाना स्पष्ट नहीं है। अतः जिला रसद अधिकारी, फेलौदी को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः नियमानुसार निर्णय एक माह की अवधि में पारित करना सुनिश्चित करें। निर्णय पारित होने तक अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वितीय जोधपुर के प्रकरण संख्या 03/2022 में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2023 प्रभावहीन रहेगा।

श्वेता चौहान (आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर फलौदी